देशबन्धु

आंकड़े / सीआईएबीसी के ताजा अध्ययन में आंकड़े आए सामने

कोरोना टैक्स में बढ़ोतरी से कम हुई है शराब बिक्री

नई दिल्ली, 2 अगस्त (देशबन्धु)। लॉकडाउन के दौरान राजस्व को हुई हानि को पूरा करने के लिए शराब पर कोरोना टैक्स लगाना और उसमें बेतहाशा वृद्धि का विचार शराब की बिक्री के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। शराब बिक्री के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसमें यह साफ हो गया है कि जिस भी राज्य ने शराब पर भारी कोरोना टैक्स लगाया है वहां लॉकडॉउन के बाद शराब की बिक्री आधी हो गई है।

शराब उत्पादन करने वाली कंपनियों की प्रतिनिधि संस्था कनफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) की ओर से एकत्रित किए गए आंकड़े में यह सामने आया है कि जिन राज्यों ने कोरोना टैक्स नहीं लगाया है या फिर कोरोना टैक्स की न्यूनतम दर लागू की है (0 से 15 फीसदी तक) वहां पर शराब की बिक्री में केवल 16 फीसदी के गिरावट आई है। जबकि ऐसे राज्य जहां पर कोरोना टैक्स के रूप में 50 फीसदी तक के या उससे ऊपर का कोरोना टैक्स लगाया गया है, वहां पर शराब की बिक्री में 59 फीसदी तक की कमी आई है।

सीआईएबीसी ने मई और जून के उपरांत जब 6 सप्ताह के बाद शराब की बिक्री को खोला गया तो उसके आधार पर राज्यों को 3 वर्ग में वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण राज्यों की ओर से लगाए गए कोरोना टैक्स के आधार पर किया गया है। पहले वर्ग में उन राज्यों को रखा गया है जहां पर शून्य से 15 फीसदी का कोरोना टैक्स लगाया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, चंडीगढ, मध्य प्रदेश, गोवा और पंजाब शामिल है। दूसरा वर्ग उन स्टेट का बनाया गया है जहां पर कोरोना टैक्स 15 से 50 फीसदी तक लगाया गया। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और झारखंड शामिल है। वहीं तीसरा वर्ग उन राज्यों का बनाया गया है, जहां पर कोरोना टैक्स 50 फीसदी से अधिक लगाया गया। इन राज्यों में आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली शामिल है। हालांकि दिल्ली के मामले में कोरोना टैक्स को बाद में 70 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी तक कर दिया गया था। सीआईएबीसी के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरि ने कहा कि जब मई और जून के डाटा को पिछले वर्ष के डाटा से मिलाया गया तो यह सामने आया कि पहले वर्ग में शामिल राज्यों में करीब 16 फीसदी तक शराब की बिक्री कम हुई। जबकि दूसरे वर्ग के राज्यों में 34 फीसदी तक शराब बिक्री घटी। वहीं तीसरे वर्ग में शामिल राज्यों में शराब की बिक्री में 59 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में यह बात साबित हुई कि शराब पर कोरोना टैक्स बढ़ाने से राज्य के राजस्व में वृद्धि नहीं होती है। यही नहीं इस डाटा ने यह भी साबित किया कि ऐसे राज्य जहां पर शराब पर कोरोना टैक्स की दर न्यूनतम या कम थी वहां पर शराब की बिक्री बढ़ी है।